न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 57/2013
अपीलांट

1. कमला देवी पत्नी रूपसिंह
2. शांति देवी पत्नी भंवरसिंह
3. चुत्रीदेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह
4. कमला देवी पत्नी ढगलसिंह
5. मिश्री देवी पत्नी ढगलसिंह
6. कमला देवी पत्नी रघुवीरसिंह
7. रूपसिंह पुत्र गंगासिंह
8. भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह
9. लक्ष्मणसिंह पुत्र माधुसिंह
10. गोपालसिंह पुत्र चतरसिंह
11. तेजपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
12. ढगलसिंह पुत्र कुपसिंह जातिगण रावत राजपूत निवासीगण पीथापेडा कोट किराणा तहसील रायपुर।

घीसालाल पुत्र श्री भोमा जाति मेहरात, निवासी धोलादाता बाडिया ग्राम चिताड, तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. शांतिदेवी पत्नी श्री किशनसिंह जाति रावत राजपूत निवासीगण पीथापेडा कोट किराणा तहसील रायपुर।
2. तहसीलदार रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

-: निर्णय :-

दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 92 ए, 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा बेलपन्ना पटवार हल्का बगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोट किराणाा, तहसील रायपुर के खसरा नंबर 812/837 रकबा 1.2646 के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी नीमसिंह, उदयसिंह, खाजुसिंह, व चैनसिंह से खरीद करना बताकर वाद प्रस्तुत किया गया। किन्तु रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। एवं अपीलांट की खसरा परिवर्तन में काश्त भी लम्बे समय से दर्ज है। रायपुर नया उपखंड कार्यालय सर्जन होने से उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक 11.07.2018 को पत्रावली उपखंड अधिकारी रायपुर भेजी गई किन्तु अपीलांटगण को इस संबध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके स्थिति के संबध में कोई रिर्पोट तलब नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 92 ए, 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा बेलपन्ना पटवार हल्का बगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोट किराणाा, तहसील रायपुर के खसरा नंबर 812/837 रकबा 1.2646 के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वक्त खरीद से निरन्तर काबिज काश्त है। अपने कब्जे के संबध में पंजीयन दस्तावेज की प्रतियां प्रदर्श ई.एक्स.पी 1 ए एवं प्रदर्श ई.एक्स.पी 2 ए प्रस्तुत किये। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से निरन्तर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत हैं अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 92 ए, 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा बेलपन्ना पटवार हल्का बगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोट किराणाा, तहसील रायपुर के खसरा नंबर 812/837 रकबा 1.2646 के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वक्त खरीद से निरन्तर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2013 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली